

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर


(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(135)कार्मिक/आ.वि.ऋण/आर.एम.एस./डी.एल.बी/02/14810 दिनांक : 13-10-16

आदेश


विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 3371-3599 दिनांक 16.06.15 द्वारा आदेशित किया गया था कि नगर निकाय में पदस्थापित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी के अवकाश काल में उनके द्वारा नगर पालिका के जिस समकक्ष कार्मिक को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, उसे वे समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे, जो नियमित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी को प्रदत्त है।

उक्त आदेश की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि निकाय में पदस्थापित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर उनके द्वारा नगर निकाय के जिस समकक्ष कार्मिक को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, उसे वे समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे, जो नियमित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी को प्रदत्त है।


(संधिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:प.1(क)(135)कार्मिक/आ.वि.ऋण/आर.एम.एस./डी.एल.बी/02/14811-15040 दिनांक : 13-10-16
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
02. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
03. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
04. सुरक्षित पत्रावली।


(संधिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक